



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
की
विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत
भवन/फ्लैट
"प्रथम आगत-प्रथम प्रदत्त"
आधार पर
प्राप्त करने हेतु
आवेदन पत्र/विवरणिका

ऑनलाइन पंजीकरण
प्रारम्भ तिथि 10.09.2021
से 31.03.2022 तक

**मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भवन/फ्लैट
"प्रथम आगत-प्रथम प्रदत्त" आधार पर प्राप्त करने हेतु नियम एवं शर्तें**

1. पंजीकरण हेतु पात्रता :

- 1.1 आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- 1.2 आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक पर आवेदक वयस्क होना चाहिए अर्थात आवेदन की तिथि पर उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
- 1.3 आवेदक या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अव्यस्क बच्चों से है) के पास प्रश्नगत अभिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों के अन्तर्गत कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर आवेदन के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि मिथ्या तथ्यों के आधार पर आवेदन किया जाता है अथवा जांच में असत्य पाया जाता है, तो पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं विधिसंगत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिये प्राधिकरण स्वतन्त्र होगा।
- 1.4 पंजीकरण हेतु वेबसाइट www.janhit.upda.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में आवेदन करना होगा।
- 1.5 आवेदक पंजीकरण एक ही नाम से करा सकेगा, संयुक्त नाम से नहीं, किन्तु यह प्रतिबन्ध पति-पत्नी के लिये लागू नहीं होगा। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 1.6 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की किसी योजना में यदि कोई भवन/भूखण्ड पूर्व से आवंटित है, तो कृपया आवेदन न करें।

2. अवस्थित अधिभार :

समय-समय पर शासन द्वारा अधिभार के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों/दिशा निर्देश लागू होंगे।

3. आवेदन कैसे करें :

- 3.1 वेबसाइट www.janhit.upda.in पर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में इच्छित सम्पत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करें।
- 3.2 सम्बन्धित सम्पत्तियों के इच्छुक आवेदन कर्ताओं को वेबसाइट www.janhit.upda.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- 3.3 रजिस्ट्रेशन हेतु पंजीकरण धनराशि के रूप में सम्पत्ति मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि (सामान्य श्रेणी हेतु) व 05 प्रतिशत धनराशि (अन्य आरक्षित श्रेणियों हेतु) ऑनलाइन ही जमा करायी जानी होगी।
- 3.4 प्रश्नगत योजना में किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा।

4. अवशेष धनराशि:-

- 4.1 आवंटन धनराशि के रूप में सम्पत्ति मूल्य की 20 प्रतिशत धनराशि (सामान्य श्रेणी हेतु) व 25 प्रतिशत (अन्य आरक्षित श्रेणियों हेतु) आवंटन के उपरान्त एक के अन्दर प्राधिकरण कोष में जमा की जानी होगी।
- 4.2 अवशेष 70 प्रतिशत धनराशि आवंटन की तिथि से तीन माह में जमा करने पर सम्पत्ति के मूल्य की 03 प्रतिशत धनराशि के बराबर छूट देय होगी जो सम्पत्ति के सापेक्ष अवशेष देयकों में समायोजित की जा जायेगी।

अथवा

- 4.3 अवशेष 70 प्रतिशत धनराशि आवंटन की तिथि से 08 त्रैमासिक किस्तों में ब्याज सहित देय होगी। ब्याज की दर 8.20 प्रतिशत होगी। निर्धारित समय पर किस्त का भुगतान न किये जाने पर 03 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।

5. समर्पण/निरस्तीकरण:-:-

- 5.1 आवंटी द्वारा लगातार 03 किस्तें जमा न करने पर अथवा अन्तिम किस्त की देय तिथि के 06 माह पश्चात तक उसकी कोई किस्त/धनराशि देय होने पर वह डिफाल्टर माना जायेगा। ऐसी स्थिति में उसका आवंटन निरस्त कर पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुए भुगतान शैड्यूल के अनुसार कुल

- देय धनराशि (पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त) पर 20 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष जमा धनराशि, यदि कोई हो तो वापिस कर दी जायेगी।
- 5.2 आवंटन के उपरान्त यदि आवंटी द्वारा आवंटित भवन को लेने से इन्कार किया जाता है तथा जमा धनराशि की वापसी की मांग की जाती है, तो उसका आवंटन निरस्त कर पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुए भवन समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र की दिनांक तक भुगतान शैड्यूल के अनुसार निर्धारित कुल देय धनराशि (पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त) पर 20 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष जमा धनराशि, यदि कोई हो तो वापिस कर दी जायेगी।
- 5.3 उपरोक्त प्रस्तरों कटौती हेतु कुल देय धनराशि का तात्पर्य पंजीकरण धनराशि छोड़कर कुल जमा धनराशि एवं निरस्तीकरण/समर्पण की तिथि पर भुगतान शैड्यूल के अनुसार अवशेष देय धनराशि (किश्त, ब्याज व दण्ड ब्याज सहित) के योग से होगा।

6. अन्य नियम व शर्तें:-

- 6.1 भवन के कब्जों से पूर्व भूमि मूल्य का नियमानुसार लीज किराया/फ्री-होल्ड शुल्क एवं नियमानुसार अन्य शुल्क जमा करना होगा तथा विलेख पत्र का निबन्धन कराना होगा। स्थल पर वास्तविक क्षेत्रफल व स्थिति के अनुसार मूल्य में परिवर्तन हो सकता है, जो आवेदक को वहन करना होगा।
- 6.2 आवंटन स्वीकृत/अस्वीकृत करने सम्बन्धी समस्त अधिकार उपाध्यक्ष, मु0वि0प्रा0 में निहित होंगे।
- 6.3 किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष मु0वि0प्रा0 का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा तथा विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद होगा।
- 6.4 समय-समय पर शासन द्वारा सम्पत्ति निस्तारण के लिए जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा एवं आवेदक इन्हें अनिवार्य रूप से मानने हेतु बाध्य होगा।
- 6.5 सभी प्रकार के देय शासकीय करों का भुगतान सम्पत्ति के मूल्य के अतिरिक्त आवंटी द्वारा वहन किया जाना होगा।
- 6.6 सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। किसी भी सम्पत्ति को उपाध्यक्ष, मु0वि0प्रा0 द्वारा सूची से अलग किया जा सकता है।
- 6.7 अधिक जानकारी सम्पत्ति प्रभारी, मु0वि0प्रा0, कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

7. आवंटन प्रक्रिया:-

सम्पत्तियां प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त एवं यथा स्थिति के आधार पर विक्रय हेतु आवंटित की जायेगी। सम्बन्धित सम्पत्तियों के इच्छुक आवेदन कर्ताओं को वेबसाइट www.janhit.upda.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में सम्बन्धित सम्पत्ति के सापेक्ष वेबसाइट पर प्रथम प्राप्त आवेदन को अर्ह होने पर सम्पत्ति आवंटित की जायेगी।

8. असफल आवेदक:-

जिन आवेदकों को भवन आवंटित नहीं हो पाता है, उनके द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि ब्याज रहित, आवेदन पत्र में दर्शाये गये बैंक के एकाउन्ट में वापस की जायेगी।

9. मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों को छुपाना:-

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायें दी गई हैं अथवा उसने किन्ही वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ-साथ भवन का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले झू से वंचित कर दिया जायेगा एवं जमा समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही साथ विधिसंगत कार्यवाही करने हेतु प्राधिकरण स्वतन्त्र होगा।

10 परिसम्पत्ति जिस प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिए ही प्रयोग किया जायेगा। अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।

11 आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र के प्रारूप के अनुसार आवेदक को रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा जारी (नोटरी के क्रमांक के स्पष्ट उल्लेख के साथ) शपथ पत्र ऑफलाइन प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

12 सफल आवेदक द्वारा पंजीकरण के साथ प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेखों को स्वहस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाना होगा। तत्पश्चात ही आवंटन किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष,

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद उ0प्र0

शपथ पत्र (रु0 100/- के नाम जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम श्री.....

आयु..... व्यवसाय..... पूरा पता.....

मैं शपथ पूर्व बयान करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैंने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रथम आगत-प्रथम प्रदत्त योजना (दिनांक से दिनांक के मध्य संचालित) के अन्तर्गत हेतु
(सम्पत्ति का विवरण)

पंजीकरण प्रार्थना पत्र संख्या..... दिनांक..... को प्रस्तुत किया गया व पंजीकरण धनराशि रु0..... ऑनलाइन दिनांक.....को जमा करायी है जिससे तारतम्य मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

2. मैं बालिग हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
3. मैं प्रार्थना पत्र केवल अपने लिए ही दे रहा/रही हूँ और इसमें किसी प्रकार का बेनामी अधिकार शामिल नहीं है।
4. मेरे या मेरे पति/मेरी पत्नी तथा अवयस्क बच्चों के पास मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कॉलोनियों के अन्तर्गत कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि मिथ्या तथ्यों के आधार पर आवेदन किया जाता है अथवा जांच में असत्य पाया जाता है, तो पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं विधि संगत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए प्राधिकरण स्वतन्त्र होगा।
5. मैंने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ दी गयी पुस्तिका में उल्लिखित नियमों/शर्तों, दशाओं, विशेष सूचनाओं, परिभाषाओं को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता/देती हूँ।
6. आवंटित भवन के कब्जा देने में यदि भूमि अर्जन सम्बन्धी अथवा अन्य न्यायिक प्रक्रिया के कारण अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से देरी होती है, तो मुझे इस बिन्दु के आधार पर क्षतिपूर्ति का मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
7. मुझे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भवन देने की सभी शर्तों व नियम मान्य है।
8. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि जब तक भवन की समस्त किस्तों एवं करों का पूर्ण रूप से भुगतान न कर दूँ मुझे भवन या भूमि बेचने या गिरवी रखने का अधिकार न होगा और न ही भवन रिहायशी उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाउंगा/लाउंगी।
9. यदि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटन उपरान्त आवेदित भवन कब्जा मैं न लूँ अथवा निर्धारित समय के अन्तर्गत मांगा गया रूपया न जमा करूंगा अथवा भवन की रजिस्ट्री न कराऊँ तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गयी किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूँ तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को मेरे द्वारा जमा धन को नियमानुसार जब्त करने तथा भवन का आवंटन रद्द करने तथा भवन पर पुनः कब्जा कर लेने का पूरा अधिकार होगा।
10. ऊपर मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्ण सत्य है और उपरोक्त शपथ-पत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैंने कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के सक्षम अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/रजिस्ट्रेशन रद्द कर दें और इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जमा धन को नियमानुसार जब्त कर लें और मेरे विरुद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझें, करें उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

घोषण:- मैं एतद्वारा बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त क्रमांक 01 से 10 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद
की विभिन्न योजनाओं में "प्रथम आगत-प्रथम प्रदत्त" के आधार पर भवन प्राप्त
करने का स्वर्णिम अवसर

वेबसाइट www.janhit.upda.in पर
ऑनलाइन पंजीकरण तिथि 10.09.
2021 से 31.03.2022 तक

क्र. सं	योजना/ सेक्टर	भवनों की श्रेणी	रिक्त भवनों का क्रमांक एवं संख्या	मानक क्षेत्रफल (व०मी०)	भवन का अनुमानित मूल्य (रु० लाख में)
1	नया मुरादाबाद सेक्टर-06	MIG (S/S)	6B- 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61,80 (Total 10 Nos)	112.50	42.608
2	नया मुरादाबाद सेक्टर-07	MIG (S/S)		162.00	54.92
3	नया मुरादाबाद सेक्टर-10ए	MIG (S/S)	10D- 78, 79, 82, 83, 84, 85, 89 , 91, 92, 93, 104, (Total 11 Nos)	112.50	44.96
4	नया मुरादाबाद सेक्टर-15ए LIG (F/S)	Four Storey GF	GF- 85, 105, 121, 133,153, (Total 05 Nos)	50.43	18.889
		Four Storey FF	FF-38, 42, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 86, 90, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 134, 138, 150, (Total 21 Nos)	50.43	16.865
		Four Storey SF	SF- 03, 07, 11, 15, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 93, 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 127, 131, 135, 147, 151, 155, 159, 163, 167, 171, 175 (Total 41 Nos)	50.43	16.865
		Four Storey TF	TF-04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96,104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176 (Total 42 Nos)	50.43	16.865
5	नया मुरादाबाद सेक्टर-16बी EWS	Three Storey GF	16B- 01, 16, 40, 75, 86, 88, 122, 145, 146, 147, 157, 158, 160, 182, 183, 193, 195 (Total 17 Nos)	30.57	7.17
		Three Storey FF	16B- 20, 29, 31, 42, 44, 53, 55, 66, 68, 77, 78, 79, 91, 92, 104, 113, 114, 115, 116, 125, 126, 127, 128, 137, 138, 139, 140, 149, 150, 151, 161, 162, 163, 164, 173, 174, 175, 176, 186, 187, 188, 197, 198, 199, 200 (Total 44 Nos)	30.57	6.14
		Three Storey SF	16B-09, 10, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 46, 47, 57, 58, 59, 60, 70, 72, 81, 82, 83, 84, 93, 94, 95, 96, 105, 117, 118, 119, 120, 130, 131, 132, 142, 143, 144, 153, 154, 155, 156, 165, 166, 167, 168, 177, 178, 179, 189, 190, 191, 192, 202, 203 (Total 52 Nos)	30.57	6.397
6	एकता विहार (दक्षिणी) समाजवादी अफोडेविल भवन	Four Storey GF	G-1,5,9,13,17,21, 25,29,33,37,41,45,49,53,57,61,65, 69,73, 77,81,85,89,93,97,101,105, 109,113,117, 121, 125,129, 133, 137,141,145,149,153,157,161,165,169,173,177,181, 185, 189, 193,197,201,205 (Total 52 Nos)	66.06	18.113
		Four Storey FF	F-2,6,10,14,18,22, 26,30,34,38,50,54,58,62,66,70,74, 78 ,82, 86,90,94, 98,102,106,110, 114,118,122,126,130,134, 138,142, 146,150,154,158,162,166,170,174,178,182, 186,190, 194,198,202,206 (Total 50 Nos)	66.06	16.197
		Four Storey SF	S-3,7,11,15,19,23, 27,31,35,39,43,47,51,55,59,63,67, 71,75,79,83,87,91,95,99,103,107,111,115,119,123,127,131, 135,139,143,147,151,155,159,163,167,171,175,179,183,187 ,191,195,199,203,207 (Total 52 Nos)	66.06	16.197
		Four Storey TF	T-4,8,12,16,20,24,32,36,40,44,48,52,56,60,64,68,72, 76, 80, 84,88, 92,96,100,104, 108,112,116,120,124, 128,132, 136,140,144, 148,152,156,160,164,168,172, 176,180,184, 188,192,196,200,204,208 (Total 51 Nos)	66.06	16.197

7	मझोला EWS	Three Storey GF	8A, 16A, 63A, 68A, 75A, 78A, 80A to 82A, 89A, 105A, 108A, 112A, 114A, 116A, 117A, 123A to 125A, 133A, 135A, 138A, 140A to 146A, 149A to 160A (Total 43 Nos)	23.82	7.58
		Three Storey FF	1B, 6B, 12B, 14B, 16B, 20B, 21B, 25B, 26B, 29B TO 32B, 34B to 40B, 47B to 55B, 58B to 63B, 65B, 67B, 68B, 70B to 72B, 75B to 77B, 80B, 81B, 86B, 89B, 90B, 103B to 106B, 126B to 128B, 130B to 149B (Total 76 Nos)	23.82	6.47
		Three Storey SF	5C, 8C, 15C to 17C, 20C, 24C, 27C to 32C, 34C, 35C, 37C to 40C, 42C to 71C, 74C to 162C (Total 138 Nos)	23.82	6.76

❖ नयम व शर्त :-

- (1) उक्त सम्पत्तियां प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त एवं यथा स्थिति के आधार पर विक्रय की जायेंगी। सम्बन्धित सम्पत्तियों के इच्छुक आवेदन कर्ताओं को वेबसाइट www.janhit.upda.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन हेतु पंजीकरण धनराशि के रूप में सम्पत्ति मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि ऑनलाइन ही जमा करायी जानी होगी।
- (2) नियम व शर्तों की विवरणिका ऑनलाइन वेबसाइट www.mdamoradabad.org पर देखी जा सकती है।
- (3) अधिक जानकारी सम्पत्ति प्रभारी, मु0वि0प्रा0, कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

उपाध्यक्ष